

362

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)

मध्य प्रदेश शासन

विषय :- प्रथम नीलाम में चतुर्थ श्रेणी काष्ठ को अवरोध मूल्य से अधिकतम तक कम मूल्य पर विक्रय की स्वीकृति हेतु अधिकार ।

— 00 —

वनोपज अंतिममागीय समिति की 392 वीं बैठक दिनांक 24-01-2012 (अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक उत्पादन के विषय क्रमांक-02) में सुलत के वन संरक्षक / अपर साधक अधिकारी को यदि बाजार में चतुर्थ व अरारी निम्न श्रेणी के काष्ठ का मूल्य कम होना है, तो विपक्ष का यह की दसों को ध्यान में रखते हुए, काष्ठ के अवरोध मूल्य में कमी किये जाने हेतु अधिकृत किया जाता है ।

साथ ही विभाग द्वारा प्रथम प्रारंभिक दौर पर राष्ट्रीयस्त चतुर्थ व अरारी निम्न श्रेणी की इमारती काष्ठ एवं अराष्ट्रीयस्त इमारती काष्ठ के चतुर्थ श्रेणी काष्ठ को प्रथम नीलाम के सम्पूर्ण ही वन संरक्षक / सुलत के अपर साधक अधिकारी को अवरोध मूल्य से अधिकतम तक कम मूल्य पर विक्रय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अधिकार प्रदत्त किया जाता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा

आदेशानुसार

(ओ.पी.खरे)

पदेन सचिव

वन विभाग, वन विभाग

दिनांक 27/02/2012

सुलत दिनांक 27/02/12

प्रतिपत्र :-

- 1/ मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग को सूचनाएँ पेषित ।
- 2/ मध्य प्रदेश शासन (क्रमांक एक) म.प्र.वा.सं.वि.को (समिति की बैठक दिनांक 24-01-2012) में सुलत विषय पर संदर्भित लेख एवं कार्यवाही निष्पत्ती के संदर्भण की प्रति (अ.सं.) सुलत को आवश्यक कार्यवाही हेतु अप्रेषित ।

सहस्र / पदेन सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

